प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयः बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5641/2010

याचिकाकर्तागण ज्ञानेश चंद्र भोई एवं अन्य

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5674/2010

याचिकाकर्तागण दिलीप सिंह ठाकुर एवं अन्य

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5678/2010

याचिकाकर्तागण बसंत कुमार श्रीवास एवं अन्य

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एवं अन्य

एवं

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5711/2010

याचिकाकर्तागण वीरेंद्र कुमार गौतम एवं अन्य

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

युगलपीठ : माननीय श्री आई. एम. कुद्दूसी

एवं माननीय श्री एन. के. अग्रवाल न्यायधीशगण

श्री राहुल ताम्रकार, श्री गैरी मुखोपाध्याय एवं श्री प्रतीक शर्मा

-याचिकाकर्तागण की ओर से अधिवक्ता

श्री विनय हरित, उप महाधिवक्ता- प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से

श्रीमती फौजिया मिर्जा, अधिवक्ता- प्रत्यर्थी/भारत संघ की ओर से

आदेश(मौखिक)

(दिनाँक 28 अप्रेल 2011 को पारित)

माननीय न्यायमूर्ति श्री आई. एम. कुद्दूसी द्वारा

1. रिट याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. यह रिट याचिकाएँ, अर्थात रिट याचिका (सेवा) क्र. 5641, 5674, 5678 और 5711

वर्ष 2010, याचिकाकर्तागण द्वारा राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 अप्रैल, 2010 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ 1-23/2009/42 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए संस्थित की गई हैं। इस अधिसूचना के माध्यम से 'छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2005' में संशोधन किए गए हैं, जिसके द्वारा नियम 2005 की अनुसूची-III के तहत निर्धारित योग्यता में 'अनुभव' वाले खंड को हटा दिया गया है। उक्त संशोधन के अनुसरण में, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती हेतु दिनांक 02 सितंबर, 2010 को विज्ञापन जारी किया गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत प्रदान किए गए केंद्र सरकार के कार्यकारी निर्देशों के विपरीत है। (छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2001 का नियम 8, अनुसूची-III एवं विज्ञापन दिनांक 02.09.2010)।

3. रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5711/2010 में एक अतिरिक्त चुनौती राज्य स्तरीय प्रशिक्षण को मान्यता न दिए जाने के संबंध में है (प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश देने हेतु कि प्रत्यर्थी क्रमांक 5 द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को प्रत्यर्थी राज्य के किसी भी विभाग के पदों पर नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र माना जाए)।

4. राज्य द्वारा प्रति-शपथपत्र संस्थित किया गया है, जिसमें यह कथन किया गया है कि इन नियमों का निर्माण राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है और केंद्र सरकार के निर्देश केवल मार्गदर्शिका मात्र हैं। इस संबंध में, इसी प्रकार का प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष पूर्व में भी उठा था, जिसका निराकरण रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2699/2008 (विद्या भूषण पटेल एवं अन्य विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में दिनांक 30 जुलाई, 2010 के आदेश के माध्यम से किया गया था। दिनांक 30 जुलाई, 2010 के उक्त आदेश के पैरा 4, 5, 6, 7, 8 और 9 निम्नानुसार हैं:

> "4. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) सेवा नियम, 2005 (संक्षेप में 'नियम, 2005') की अनुसूची-III के खंड 2 को इस आधार पर रद्द करने की प्रार्थना की है कि उक्त खंड केंद्र सरकार द्वारा सभी संबंधितों को जारी किए गए उन निर्देशों के विपरीत है, जिनमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में 'व्यावसायिक प्रशिक्षक' के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया था।
>
> 5. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता क्रमशः शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, दुर्ग और केशकाल में 'अतिथि वक्ता' के रूप में कार्यरत हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (संक्षेप में 'एनसीवीटी') ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में 'व्यावसायिक प्रशिक्षकों' के पद हेतु आवश्यक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें की थीं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और परिपत्र दिनांक 24.7.1996 के माध्यम से सभी संबंधितों को भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने हेतु निर्देशित किया गया था। यद्यपि प्रत्यर्थी क्र.-1 (राज्य) ने नियम, 2005 में संशोधन किया, किंतु अनुसूची-III में उल्लेखित 'प्रशिक्षण अधिकारी ग्रेड-III' के पद के लिए निर्धारित योग्यताएं, केंद्र सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 24.7.1996 के माध्यम से जारी निर्देशों के विपरीत हैं।
>
> 6. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि तकनीकी शिक्षा का विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- I (संघ सूची) की प्रविष्टि- 66 के अंतर्गत आता है और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निर्देश राज्य सरकार पर बंधनकारी हैं, तथा राज्य, संघ द्वारा बनाई गई विधि के विपरीत कोई विधि नहीं बना सकता है। राज्य द्वारा निर्धारित योग्यताएं, संघ द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप नहीं हैं।

7. प्रत्यर्थीगण द्वारा संस्थित प्रति-शपथ पत्र में यह तर्क दिया गया है कि संघ द्वारा ऐसा कोई विधि नहीं बनाई गई है जो वास्तव में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में राज्य पर बंधनकारी हो। भारत संघ द्वारा निर्धारित योग्यता केवल प्रकृति में सुझावात्मक है और यह इसके साथ संलग्न टिप्पणी के अवलोकन से स्पष्ट हो जाएगा, जो निम्नानुसार है:-

"सुझाई गई योग्यताएं केंद्र सरकार के भर्ती नियमों पर आधारित हैं। हालाँकि, राज्य इस संबंध में अपने स्वयं के भर्ती नियमों का पालन कर सकते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क विधि की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है।

9. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका भ्रामक है, जो खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।"

5. वर्तमान रिट याचिकाओं में याचिकाकर्तागण का मुख्य तर्क यह है कि नियम 2005 के नियम 8 की अनुसूची-III में पूर्व में न्यूनतम योग्यता / पात्रता यह निर्धारित की गई थी कि 'अभ्यर्थी को गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान विषयों के साथ हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा या अखिल भारतीय शिल्पकार प्रमाणपत्र परीक्षा या व्यापार शिक्षुता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआई) से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, हालांकि यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षित नहीं है, तो उसे अपनी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष के भीतर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त, यह एक अनिवार्य शर्त थी कि अभ्यर्थी के पास 'संबंधित ट्रेड में कम से कम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव' होना चाहिए, जिसे दिनांक 15.04.2010 के आक्षेपित संशोधन द्वारा संशोधित कर दिया गया है। उक्त आक्षेपित संशोधन के माध्यम से तकनीशियन पदों के विभिन्न ट्रेडों के 'प्रशिक्षण अधिकारी श्रेणी-II' के पद पर नियुक्ति हेतु

यह योग्यता निर्धारित की गई है कि अभ्यर्थी को गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान विषयों के साथ हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा या समकक्ष, अथवा संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एनटीसी) / नेशनल अपरेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एनएसी) या समकक्ष होना चाहिए तथा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआई) से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, हालांकि, यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षित नहीं है, तो उसे प्रशिक्षण परीक्षा अपनी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी। इस प्रकार, दिनांक 15.04.2010 के संशोधन द्वारा 'तीन वर्ष के व्यावहारिक अनुभव' की अनिवार्य शर्त को विलोपित कर दिया गया है।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि पूर्ववर्ती नियम का निर्माण भारत संघ और 'नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग' (एनसीवीटी) द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया गया था, ताकि तकनीशियन पदों के विभिन्न ट्रेडों में 'प्रशिक्षण अधिकारी श्रेणी-III' के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम मानक बनाए रखे जा सकें और इसका उद्देश्य पूरे देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में न्यूनतम स्तर को बनाए रखना था। तथापि, विवादित संशोधन के माध्यम से बिना किसी ठोस कारण के, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से भटकते हुए और भारत संघ एवं 'नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग' के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, नियम 2005 की अनुसूची-III, नियम 8 को संशोधित कर दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. वर्तमान रिट याचिकाओं में भारत संघ ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि " व्यावसायिक प्रशिक्षण, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का एक समवर्ती विषय है। भारत सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए वर्ष 1956 में एक सलाहकार निकाय के रूप में 'नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग' (एन.सी.वी.टी.) की स्थापना की है। एन.सी.वी.टी. (एन.सी.वी.टी.) एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें केंद्र / राज्य सरकार के विभागों, नियोक्ताओं और कर्मचारी संगठनों, पेशेवरों और विद्वान निकायों, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिला संगठनों के सदस्य शामिल होते हैं। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा की जाती है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एन.सी.वी.टी.) एक अनुशंसात्मक निकाय है और इसका

कोई वैधानिक प्रास्थिती नहीं है। इसके द्वारा की गई अनुशंसा आवश्यक नहीं है और इन्हें राज्य स्तर पर सक्षम प्राधिकारी का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही लागू किया जाता है।

8. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने अनुभव संबंधी योग्यताओं के निर्धारण के संबंध में प्रश्न उठाया है, जिसकी आवश्यकता पूर्व में थी और जिसे बाद के संशोधन द्वारा विलोपित कर दिया गया है। नियम, 2005 का निर्माण सरकार द्वारा किया गया है और संबंधित विभाग एक विशेषज्ञ निकाय है। उन्हें यह ज्ञात है कि कब अनुभव की आवश्यकता होगी या कब नहीं। यदि उन्होंने बिना अनुभव वाले व्यक्ति को नियुक्त करने का विकल्प चुना है, तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि यह राज्य का प्रशासनिक कार्य है और इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई क्षेत्र नहीं है।

9. इसके अतिरिक्त, रिट याचिका क्रमांक 5711/2010 में याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि प्रशिक्षक के लिए योग्यता एन.टी.सी. (नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट) निर्धारित की गई है, किंतु राज्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी जा रही है। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि राज्य में 50 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) हैं और अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र 'राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद' द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन्हें राज्य के विभिन्न विभागों के साथ-साथ भारत संघ द्वारा भी स्वीकार किया जाता है। तथापि, संबंधित ट्रेड में 'शिल्पकार' का प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थी, जो 'राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद' द्वारा जारी किया जाता है, उन्हें आक्षेपित नियमों में पात्र नहीं बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, 'राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद' द्वारा जारी प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों और 'राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद' द्वारा जारी प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों के बीच कोई विभेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही भारत संघ द्वारा निर्धारित समान पाठ्यक्रम से गुज़रे हैं। इस प्रकार, राज्य द्वारा 'राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद' और 'राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद' द्वारा जारी शिक्षुता प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों के बीच भेदभाव किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. हमने रिट याचिका के साथ संलग्न प्रमाणपत्रों का परिशीलन किया है और यह पाया है कि जब एक अभ्यर्थी (श्री कमलेश्वर प्रसाद चौधरी) राज्य स्तरीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे थे, तब उन्हें 'राज्य परीक्षा बोर्ड, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद' द्वारा अनंतिम प्रमाणपत्र

जारी किया गया था, किंतु जब उन्होंने शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया, तब उन्हें 'राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद' द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र' जारी किया गया था। तथापि, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि वास्तव में,वे व्यक्ति जो राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर की शिक्षुता में सम्मिलित हो रहे हैं, वे प्रारंभ में राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम में ही थे। यदि ऐसा है, तो वे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में बैठने के लिए एक अलग और विशिष्ट श्रेणी बनाते हैं। यद्यपि, विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम एक ही है, किंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि प्रश्नगत नियमों के उद्देश्य हेतु योग्यता खंड में छूट दी गई है, और इसलिए केवल 'राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र' ही आवश्यक है। यदि याचिकाकर्तागण के पास 'राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद' द्वारा जारी प्रमाणपत्र नहीं है, तो यह न्यायालय उत्तरदातागण (सरकार) को उन याचिकाकर्तागण की योग्यता को एनटीसी के समकक्ष मान्यता देने का निर्देश नहीं दे सकता जिनके पास 'राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद' द्वारा जारी प्रमाणपत्र हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी वैधानिक प्राधिकारी को उसके वैधानिक दायित्व का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु 'परमादेश रिट' जारी की जा सकती है। किंतु, उसे किसी वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन में आदेश पारित करने के लिए बाध्य करने हेतु ऐसी रिट जारी नहीं की जा सकती। (देखें: **होप टेक्सटाइल्स लिमिटेड और अन्य विरूद्ध भारत संघ और अन्य**[1])।

12. राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय का परीक्षण किसी अन्य आधार पर नहीं किया जा सकता, सिवाय तब, जब वह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो या वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध हो। (देखें: **डरोथी क्लेयर परेरा (श्रीमती) एवं अन्य विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य**[22])।

13. **'डब्ल्यू.बी. हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य विरूद्ध बृजेंद्र प्रसाद गुप्ता एवं अन्य'**[3] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "32. न्यायालय सामान्यतः राज्य के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालाँकि, यदि तैयार की गई नीति संविधान के जनादेश या किसी वैधानिक प्रावधान

1 1995 Supp (3) SCC 199
2 (1996) 9 SCC 633
3 (1997) 6 SCC 207

के विरुद्ध है, तो निश्चित रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांतों पर उसका परीक्षण किया जा सकता है। जब कोई कार्य राज्य की उस नीति के अंतर्गत आता है जो गरीबों और जरूरतमंदों के लाभ के लिए बनाई गई है और जिस नीति में कोई दोष नहीं पाया जा सकता, तो न्यायालय को अपने हाथ पीछे खींच लेने चाहिए (हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए) और यहाँ-वहाँ कोई त्रुटि खोजने के लिए आवर्धक लेंस से सूक्ष्म विवरणों की जाँच करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि दुर्भावना के आरोप न हों। मामले का एक समग्र दृष्टिकोण लिया जाना चाहिए व न्यायिक पुनर्विलोकन के इस शक्तिशाली हथियार का उपयोग अंधाधुंध तरीके से नहीं किया जा सकता है।"

14. जब तक कोई नीति या कार्य असंवैधानिक न हो या वह आदेश सत्ता/शक्ति का दुरुपयोग न हो, न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। (देखें: **फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं अन्य विरूद्ध भारत संघ**[44])।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **'ऑल इंडिया आईटीडीसी वर्कर्स यूनियन एवं अन्य विरूद्ध आईटीडीसी एवं अन्य'**[5] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"23. .....हमारी राय में, कर्मचारियों द्वारा संस्थित वर्तमान रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं क्योंकि विनिवेश भारत सरकार का एक नीतिगत निर्णय था। इस न्यायालय ने यह भी माना है कि उक्त नीतिगत निर्णय में न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए और शासकीय कर्मचारियों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 311 के तहत कोई पूर्ण अधिकार नहीं है तथा सरकार स्वयं पद को भी समाप्त कर सकती है।"

16. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप-महाधिवक्ता ने पहले ही यह निवेदन किया है कि नियम 2005 और उसके पश्चातवर्ती संशोधन, राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए हैं और केंद्र सरकार के निर्देश केवल 'दिशानिर्देश' मात्र हैं।

---

4 (2003) 4 SCC 289
5 (2006) 10 SCC 66

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **'ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन विरूद्ध सुरिंदर कुमार धवन एवं अन्य'**[6] में यह माना है कि "शिक्षा पर वैधानिक विशेषज्ञ निकायों की भूमिका और न्यायालयों की भूमिका एक सरल नियम द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित है। यदि यह शैक्षिक नीति का प्रश्न है या शैक्षणिक मामले से जुड़ा कोई मुद्दा है, तो न्यायालय उससे दूर रहते हैं (हस्तक्षेप नहीं करते)। यदि विधि के किसी प्रावधान या सिद्धांत की व्याख्या, प्रयोग या प्रवर्तन किया जाना हो, जो शिक्षा से संबंधित हो, केवल तभी न्यायालय हस्तक्षेप करेंगे।" इसके अतिरिक्त, "न्यायाधीशों को वहां जल्दबाजी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जहां शिक्षाविद भी जाने से कतराते हैं। हालांकि कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यह विवेक का नियम है कि न्यायालयों को शैक्षणिक निकायों के निर्णयों को रद्द करने या बदलने में संकोच करना चाहिए।" इस निर्णय की कंडिका 32 निम्नानुसार है:

> "32. यह एक ऐसा उत्कृष्ट मामला है जहाँ केवल न्यायालय के आदेश द्वारा एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम बनाया गया और जारी रखा गया, जबकि उससे पहले उसका कोई वैधानिक या शैक्षणिक मूल्यांकन, निर्धारण या स्वीकृति नहीं ली गई थी। किसी नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के लिए मंजूरी प्रदान करने हेतु विभिन्न शैक्षणिक / तकनीकी पहलुओं के परीक्षण की आवश्यकता होती है, जो केवल एआईसीटीई जैसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा ही किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से यह कार्य न्यायालयों द्वारा न तो अपने हाथ में लिया जा सकता है और न ही इसका निर्वहन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, इस मामले में, न्यायालय के परमादेश द्वारा, उन चार वर्षीय उन्नत डिप्लोमा धारकों के लिए एक 'ब्रिज कोर्स' की अनुमति दी गई थी, जिन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10+2 की प्रवेश स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ततपश्चात, एक अन्य मामले में एक अन्य 'परमादेश' द्वारा, जो कि एक बार के लिए किया गया उपाय था, उसे कई वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और उसे पोस्ट डिप्लोमा धारकों तक भी विस्तारित कर दिया गया। पुनः एक अन्य परमादेश द्वारा, इसे उन लोगों तक भी विस्तारित कर दिया गया जिन्होंने आवश्यक न्यूनतम 10+2 परीक्षा के स्थान पर केवल 10+1 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। प्रत्येक निर्देश स्पष्ट रूप से उन छात्रों को राहत देने के लिए अभिप्रेत था जो अपने करियर की संभावनाओं को बेहतर बनाना चाहते थे, तथा यह विशुद्ध रूप से एक 'तदर्थ

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6 (2009) 11 SCC 726

उपाय' के रूप में था। किंतु, ये सब मिलकर अनजाने में शैक्षणिक मानकों के अवमूल्यन का कारण बनते हैं, जो इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों के स्तर और गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। न्यायालयों को शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अनधिकार हस्तक्षेपों के विरुद्ध सावधानी बरतनी चाहिए।"

18. उपरोक्त के आलोक में, विधि की दृष्टि में कोई भी आधार विचारणीय नहीं है। रिट याचिकाएं अर्थात डब्लू.पी.(एस) क्रमांक 5641, 5674, 5678 और 5711 / 2010 विफल होती हैं और उन्हें खारिज किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

हस्ताक्षर
आई. एम. कुद्दूसी
न्यायमूर्ति

हस्ताक्षर
एन. के. अग्रवाल
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv Neeta Verma